

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7329/2023

अशोक अरोड़ा पुत्र उमराव सिंह अरोड़ा, उम्र लगभग 73 वर्ष, निवासी 25, भगत वाटिका,
सिविल लाइन्स, जयपुर - 302006।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार के माध्यम से, जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी-स्कीम सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
- नगर निगम ग्रेटर जयपुर, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर अपने आयुक्त के माध्यम से।
- उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

----उत्तरदाता

से संबंधित

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3612/2021

महेंद्र सिंघल पुत्र श्री कस्तूर चंद, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी बी-31, आर्य नगर मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर C/o मैसर्स कस्तूर चंद ठेकेदार प्लॉट नंबर 1 रोड नंबर 1 डी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, रीको, जयपुर - 302013।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, इसके मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- जयपुर नगर निगम, जयपुर, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान, इसके आयुक्त के माध्यम से।
- स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान राज्य सरकार, सचिवालय, जयपुर, अपने प्रमुख सचिव के माध्यम से।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15061/2021

सुप्रीम इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक श्रीधर बियाणी (डीआईएन नं.02800928) पुत्र श्री राम गोपाल बियाणी, आयु लगभग 40 वर्ष, पंजीकृत पता एफ-

409 बी, रोड नं. 14, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर, सी/ओ. एफ-696, रोड नं. 9 एफ 2, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर (उत्तर)

----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, अपने मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- 2. जयपुर नगर निगम, अपने सचिव, जयपुर के माध्यम से, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान।
- 4. स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, अपने प्रमुख सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, जयपुर।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3677/2022

मेसर्स अग्रवाल मार्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या 6, 7 हनुमान वाटिका चित्रकूट लेन, अजमेर रोड, जयपुर में है और व्यवसाय स्थान प्लॉट संख्या 118, बी-119 और 120, रोड संख्या 9 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302013 (राजस्थान) में है, इसके निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री अश्विनी गुप्ता के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर प्रधान सचिव के माध्यम से।
- 2. जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
- 3. आयुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, जयपुर।
- 4. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर।
- 5. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3679/2022

मेसर्स अग्रवाल मार्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या 6, 7 हनुमान वाटिका चित्रकूट लेन, अजमेर रोड, जयपुर में है और व्यवसाय स्थान प्लॉट संख्या ए-118, बी-119 और 120, रोड संख्या 9 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302013 (राजस्थान) में है, इसके निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अश्विनी गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, सचिवालय,
जयपुर प्रधान सचिव के माध्यम से।
2. जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी,
टोंक रोड, जयपुर इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
3. आयुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, जयपुर।
4. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर।
5. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगमसीमित(रीको),
जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3688/2022

मेसर्स अग्रवाल मार्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या 6, 7 हनुमान वाटिका चित्रकूट लेन, अजमेर रोड, जयपुर में है और व्यवसाय स्थान प्लॉट संख्या ए-118, बी-119 और 120, रोड संख्या 9 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302013 (राजस्थान) में है, इसके निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अश्विनी गुप्ता के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, सचिवालय,
जयपुर प्रमुख सचिव के माध्यम से।
2. जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी,
टोंक रोड, जयपुर इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
3. आयुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, जयपुर।
4. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर।
5. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगमसीमित(रीको),
जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3698/2022

मेसर्स अग्रवाल मार्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या 6, 7 हनुमान वाटिका चित्रकूट लेन, अजमेर रोड, जयपुर में है और व्यवसाय स्थान

प्लॉट संख्या 118, बी-119 और 120, रोड संख्या 9 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302013 (राजस्थान) में है, इसके निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री अश्विनी गुप्ता के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर प्रमुख सचिव के माध्यम से।
2. जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
3. आयुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, जयपुर।
4. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर।
5. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगमसीमित(रीको), जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3755/2022

मेसर्स अग्रवाल मार्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या 6, 7 हनुमान वाटिका चित्रकूट लेन, अजमेर रोड, जयपुर में है और व्यवसाय स्थान प्लॉट संख्या ए-118, बी-119 और 120, रोड संख्या 9 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302013 पर है। (राजस्थान) इसके निदेशक एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अश्विनी गुप्ता के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर प्रधान सचिव के माध्यम से।
2. जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
3. आयुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम-ग्रेटर, जयपुर।
4. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर।
5. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगमसीमित(रीको), जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17727/2022

ब्लूमा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-192, रोड 9 एफ

वीकिया जयपुर-302013 में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि अरुण कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री राम नारायण गुप्ता के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार के माध्यम से, जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी-स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
2. नगर निगम ग्रेटर जयपुर, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर अपने आयुक्त के माध्यम से।
3. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4954/2023

एडवांस स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, ई-774, रोड नंबर-13 वीकेआईए जयपुर 302013 अपने अधिकृत प्रतिनिधि योगेंद्र खंडेलवाल के माध्यम से.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार के माध्यम से जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी-स्कीम सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
2. नगर निगम ग्रेटर जयपुर, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर अपने आयुक्त के माध्यम से।
3. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
4. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) जयपुर इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5103/2023

चंद्र खुटेटा पत्नी गिरीश चंद्र खुटेटा, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी ई-15, गोखले मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार के माध्यम से, जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी-स्कीम सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
2. नगर निगम ग्रेटर जयपुर, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी

टोंक रोड, जयपुर अपने आयुक्त के माध्यम से।

- 3. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
- 4. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5114/2023

संपत लाल जैन पुत्र स्वर्गीय श्री हरक चंद जैन, आयु लगभग 81 वर्ष, श्री जैन उद्योग के मालिक, पता सी 950/बी, रोड नंबर 14, विकिया क्षेत्र 302013

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार के माध्यम से, जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी-स्कीम सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
- 2. नगर निगम ग्रेटर जयपुर, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर अपने आयुक्त के माध्यम से।
- 3. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
- 4. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगमसीमित(रीको), जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5419/2023

राकेश गुप्ता पुत्र श्री बाबू लाल गुप्ता, आयु लगभग 62 वर्ष, मुख्य व्यवसायिक स्थान एफ-253-बी, वी.के.आई. रोड नं. 12, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302013

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, अपने मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- 2. जयपुर नगर निगम, अपने सचिव, जयपुर के माध्यम से, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान।
- 3. स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, अपने प्रमुख सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, जयपुर।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9071/2023

पालीवाल एक्सक्लूसिव मार्बल एलएलपी, 72, रोड नंबर 1 सी, वीकेआईए, जयपुर 302013 अपने अधिकृत प्रतिनिधि कैलाश चंद काबरा के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार के माध्यम से, जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी-स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
- 2. नगर निगम ग्रेटर, जयपुर, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर अपने आयुक्त के माध्यम से।
- 3. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
- 4. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगमसीमित(रीको), जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9073/2023

परफेक्ट कैपफिन एलएलपी, ए-85 (ए), रोड नंबर 9, वीकेआईए, जयपुर-302013 अपने अधिकृत प्रतिनिधि केशव काबरा के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार के माध्यम से, जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी-स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
- 3. नगर निगम ग्रेटर, जयपुर, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर अपने आयुक्त के माध्यम से।
- 3. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
- 4. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगमसीमित(रीको), जयपुर, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3764/2021

मेजर लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-202-204, रीको

औद्योगिक क्षेत्र मानसरोवर जयपुर में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से श्री. अनूप सराफ.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार के माध्यम से, जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी-स्कीम सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
2. नगर निगम ग्रेटर जयपुर, पंडित दिनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, जयपुर अपने आयुक्त के माध्यम से।
3. उपायुक्त, मानसरोवर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर, सेक्टर 9 गोखले मार्ग, शिप्रापथ रोड, मानसरोवर जयपुर।
4. उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर, नगर निगम रोड, रायगढ़ छोटा मोहल्ला, दादा गुरुदेव नगर, सांगानेर जयपुर,

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1387/2022 से संबंधित यूनाइटेड फेल्ट्स एंड कार्पेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 128, जोतवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर, राजस्थान में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि रितेश मामोडिया पुत्र श्री विजेंद्र मामोडिया, आयु 45 वर्ष के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
2. आयुक्त, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर।
3. राजस्थान राज्य, सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, राज्य सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, सी-स्कीम, जयपुर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री. संदीप पाठक,
श्रीमती जया पी. पाठक के
साथ एवं
श्री. अर्नव सिंह
श्री. आदित्य विजय
श्री. कृतेश ओसवाल
श्री. दिव्य प्रकाश मोदी

प्रतिवादी(ओं) के लिए:

श्री. अनिल मेहता, एएजी श्री के साथ।
यशोधर पांडे श्री. वीरेंद्र लोढा,
वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जय लोढा
और श्री द्वारा सहायता प्राप्त।
अंकित राठौड़ श्री. ईशान कुमावत
श्री. श्री नवल किशोर सैनी की
ओर से। एस.एन. कुमावत श्री.
प्रांजुल चोपड़ा श्री के साथ। रीको
के लिए अंकुर जैन श्रीमती
अनामिका अरोड़ा

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन
माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति शुभा मेहता

निर्णय

09/02/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक)

रिपोर्ट योग्य

- इन याचिकाओं पर एक ही आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि इनमें शामिल मुद्दे और तथ्य समान हैं। तथ्यों पर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3679/2022 से विचार किया जा रहा है।
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (संक्षेप में, 'आरआईआईसीओ') द्वारा जयपुर के रीको औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा में प्लॉट आवंटित किया गया था।
- याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ यह शिकायत उठाई गई है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (संक्षेप में 'कर') के तहत शहरी विकास कर (संक्षेप में 'कर') की मांग बिना कोई आदेश पारित किए बनाई गई है।
- याचिकाकर्ता ने दावा किया कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित संपत्ति कर-योग्य नहीं है। रीको की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के पक्ष का समर्थन किया।
- प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आक्षेपित मांग का बचाव करते हुए तर्क दिया कि कर के स्व-मूल्यांकन की एक योजना है और याचिकाकर्ता देय कर जमा करने में विफल रहा है। तर्क यह है कि मांग नोटिस में कर की गणना शामिल है।
- उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- राजस्थान नगरपालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2016 (संक्षेप में 'नियम') का

नियम 5 नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

(1) नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अधिनियम की धारा 102 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर प्रपत्र-II में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, जिसमें भवन या भूमि या दोनों के स्वामियों/अधिभोगियों से प्रपत्र III में स्व-मूल्यांकन विवरणी प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाएगा। ऐसी सूचना नगरपालिका कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चिपकाई जाएगी।

(2) कर का भुगतान करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति अपने द्वारा देय कर का निर्धारण करेगा और उसे नगर पालिका के बैंक खाते या नगर पालिका कार्यालय में जमा करेगा। कर जमा करने के पश्चात, उसे फॉर्म-III में स्व-निर्धारण विवरणी विधिवत और सही ढंग से दाखिल करके, जमा किए गए कर के चालान या रसीद की एक प्रति के साथ, नगर पालिका कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या ऑनलाइन ई-गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से प्रेषित करके जमा करनी होगी।

(3) यदि स्वामी/अधिभोगी सही स्व-मूल्यांकन विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है या उप-नियम (1) और (2) के तहत अपेक्षित स्व-मूल्यांकन विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी/मूल्यांकनकर्ता या इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो,-

(क) किसी भवन या भूमि या दोनों में प्रवेश करना, उनका निरीक्षण करना और माप करना;

(ख) पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे भवन या भूमि या दोनों के संबंध में नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के पिछले रिकार्ड की जांच करना; और

(ग) कर का निर्धारण करना तथा उसे चूककर्ता से वसूल करना।

(4) कर के स्व-निर्धारण रिटर्न के पांच प्रतिशत मामलों की जांच/जांच मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कर निर्धारक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

8. नियम 5(1) के अनुसार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर भवन या भूमि अथवा दोनों के स्वामियों/अधिभोगियों द्वारा स्व-मूल्यांकन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी। नियम 5(2) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी करदाता इसे नगर पालिका के बैंक खाते में या उसके कार्यालय में जमा करेगा और कर जमा करने के प्रमाण के साथ नगर पालिका कार्यालय में ऑनलाइन, व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा स्व-मूल्यांकन विवरणी प्रस्तुत करेगा। स्वामी/अधिभोगी द्वारा स्व-मूल्यांकन विवरणी दाखिल न करने या गलत विवरणी प्रस्तुत करने पर नियम

5(3) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी/मूल्यांकनकर्ता माप के लिए भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकता है; आस-पड़ोस से पूछताछ कर सकता है या यदि आवश्यक हो तो नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण या दोनों के पिछले रिकॉर्ड की जांच कर सकता है; कर का आकलन कर सकता है और उसे वसूल कर सकता है। नियम 5(4) में प्रावधान है कि स्व-मूल्यांकन के पांच प्रतिशत मामलों की जांच की जाएगी।

9. स्थापित प्रकरण के अनुसार, बप्पा ने रीको में सेवा शुल्क जमा करते हुए दावा किया था कि उनकी संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य नहीं है। नियम 5(3) के अनुसार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी/कर निर्धारक को कर का निर्धारण कर उसकी वसूली करनी थी।

10. दलीलों से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण संबंधी कोई आदेश नहीं है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता को शामिल किए बिना ही देयता की गणना की गई है। जबकि नियम 5(3) में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी को कर का निर्धारण करना होता है, अतः याचिकाकर्ता को कर देयता के रूप में अपना पक्ष रखने या परिमाणीकरण पर आपत्तियाँ उठाने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

11. यह मानते हुए कि गणना पत्रक-सह-माँग नोटिस को एक आदेश माना जाता है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता को याचिका में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।

12. इस प्रस्ताव पर कोई बहस नहीं हो सकती कि निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है। यह सिद्धांत न केवल अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों पर लागू होता है, बल्कि उन प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी लागू होता है जहाँ कार्यवाही के परिणामस्वरूप दीवानी परिणाम सामने आते हैं। मेसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त, गुवाहाटी व अन्य (2015) 8 एससीसी 519 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उद्धृत करना उचित होगा। संबंधित अनुच्छेद नीचे उद्धृत है:-

“उपर्युक्त चर्चा से, यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करना अदालती कार्यवाही में एक बुनियादी आवश्यकता मानी जाती थी। बाद में, इस सिद्धांत को अन्य अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों और अन्य न्यायाधिकरणों पर लागू किया गया और अंततः अब यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि प्रशासनिक कार्रवाइयों में भी, जहाँ प्राधिकरण के निर्णय के परिणामस्वरूप नागरिक परिणाम हो

सकते हैं, निर्णय लेने से पहले सुनवाई आवश्यक है। इस प्रकार, ए.के. कृपक के मामले (सुप्रा) में यह देखा गया था कि यदि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना है, तो यह समझना मुश्किल है कि इन नियमों को प्रशासनिक जाँच के लिए कैसे उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य [13] के मामले में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुप्रयोग को राज्य और उसके अधिकारियों की प्रशासनिक कार्यवाई तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कार्यवाई करने से पहले, नोटिस की तामील और नोटिस प्राप्तकर्ता को सुनवाई देना आवश्यक है। महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बनाम मेसर्स सुवर्णा बोर्ड मिल्स और अन्य [14] में, इस पहलू को निम्नलिखित तरीके से समझाया गया:

“3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष यह तर्क दिया है कि धारा 29 के तहत कार्यवाई करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया था, यह मानते हुए कि ऐसा करना आवश्यक था। यह देखा जाए कि क्या ऐसा था। यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक न्याय को एक निश्चित दायरे में नहीं रखा जा सकता; इसके नियम मूर्त रूप में नहीं हैं और वे मामले दर मामले और एक तथ्यात्मक स्थिति से दूसरी स्थिति में भिन्न होते हैं। केवल यह देखना है कि किसी को यह सूचित किए जाने से पहले कि यदि वह उस चूक का ध्यान नहीं रखेगा, जिसके कारण ज्ञात कार्यवाई की परिकल्पना की गई है, कोई प्रतिकूल नागरिक परिणाम नहीं होने दिया जाता है। किसी विशेष प्रकार के नोटिस की कानून की मांग नहीं है: सब कुछ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।” ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता एवं अन्य बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता[15] के मामले में, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चाहे कानून में नोटिस का प्रावधान हो या न हो, अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करे और उन परिस्थितियों का खुलासा करे जिनके तहत उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने की माँग की जा रही है। ऐसा न करने पर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। इसी आशय के निम्नलिखित निर्णय हैं:

- क) यू.ओ.आई. एवं अन्य बनाम मधुमिलन सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य[16]
 - ख) मोरारजी गोकुलदास बी एंड डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम यूओआई और अन्य[17]
 - ग) मेटल फोर्जिंग्स और अन्य बनाम यू.ओ.आई. और अन्य[18]
 - घ) यू.ओ.आई. एवं अन्य बनाम टाटा योडोगावा लिमिटेड एवं अन्य[19]
- इसलिए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि वसूली का आदेश पारित करने से पहले डिप्टी कमिश्नर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी, इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम की धारा 11 ए तत्काल मामले में आकर्षित होती है या नहीं।

13. वैकल्पिक उपाय के बावजूद, रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि आक्षेपित मांग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। यह मामला व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, (1998) एससीसी 1 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए अपवादों के अंतर्गत आता है।

14. रिट याचिकाओं का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि मांग नोटिस को कारण बताओ नोटिस (संक्षेप में 'एससीएन') माना जाएगा।

15. याचिकाकर्ता को 16.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे संबंधित नगर निगम आयुक्त के कार्यालय में उपस्थित होकर एस.सी.एन का जवाब दाखिल करने की अनुमति दी जाए। तत्पश्चात, आयुक्त याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, कानून के अनुसार कर लगाने के मुद्दे पर निर्णय लेंगे।

16. प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17. रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

18. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति निर्णयों से व्यथित है तो उसे कानून के अनुसार उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(शुभा मेहता), जे (अवनीश झिंगन), जे

लक्ष्य/चंदन/94-108

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate